

23.9.2014

0m - 15+26

90
0m - 16m
(-27,8)

30 120m

01 - contd

DN

- 00 Dugout 500 00 00

- 00 Trough 500 00 00

- 00 200g 510 00 00

- 00 2.0m 00 00 00

- 00 Dugout 00 00 00

- 00 Dugout 00 00 00

- 00 = 100 00 00

- 00 = 100 00 00

- 00 = 100 00 00

- 00 = 100 00 00

22.10.2014

0m - 30+26
Ponto config
- used

0m - 20m

Qm - 15m

30m - 28,10

01 - 65m

22.10.2014

- 00 500 00 00

- 00 10 00 00 00

- 00 200 00 00 50 + 50

- 00 1000 00 00 00 + 30

- 00 100 00 00 50

- 00 = 100 00 00 250 + 20

- 00 = 100 00 00 200

- 00 100 00 00 00 + 100

- 00 100 00 00 00

23.10.2014

bed east 00 00 00

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बन्ध-महाविद्यालय नौवी कालिकाधाम-वाराणसी)

सेवापुरी - वाराणसी

पत्रांक. 44008/नियुक्ति/2017-18

दिनांक. 21.08.2017

नियुक्ति - पत्र

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ.प्र. इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री अर्थ-1/आयोग/1395-99/2017-18 दिनांक 19-8-2017 के अनुपालन में एवं उ.प्र. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विद्यासंशोधित तथा अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 धारा 13(3) एवं धारा 14 (1) के प्राविधानों के तहत डॉ० अरविन्द सिंह की सेवानियुक्ति से रिक्त प्रवक्ता - राजनीतिशास्त्र के पद पर श्री हिमेशु मिश्र की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु. 15600 -39100 के वेतनमान में एक वर्ष के लिये परिवीक्षा (प्रावेशन) पर की जाती है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंडगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य सम्पोषजनक पाये जाने पर ही स्वार्थीकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्री हिमेशु मिश्र की नियुक्ति शासनादेश संख्या-22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी आसन में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

ट्रॉफी-२०१८
डॉ० हर्षवर्द्धन सिंह

प्रबन्धक

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेवापुरी- वाराणसी

पत्रांक. 44008/नियुक्ति/2017-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री हिमेशु मिश्र, ग्राम. इस्माइलपुर पोस्ट, गरखापुर, सोराव जिला. इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्त पत्र प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने का काट करें तथा कार्यभार ग्रहण के समय शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकनार्थ ग्रस्तुत करें तथा उनकी प्रमाणित ढाया प्रतियां महाविद्यालय कार्यालय को प्रदान करें।

2. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ.प्र. इलाहाबाद को उनके पत्रांक डिग्री अर्थ-1/आयोग/1395-99/2017-18 दिनांक 19-8-2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ट्रॉफी-२०१८
डॉ० हर्षवर्द्धन सिंह

प्रबन्धक

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेवापुरी- वाराणसी

प्रियका

विद्या निदेशक(रोशनी)उम्मीद

दिल्ली अवै-1(आयोग)

इलाहाबाद।

संक्षेप

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत निदेशक
कालिका धारा स्नानकोत्तर महाविद्यालय,
सेवापुरी, वाराणसी(उम्मीद)।

पत्रांक दिल्ली अवै-1(आयोग)/

/ 2017-18 दिनांक 19/8/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से भवित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

संक्षेप

उम्मीद अपने नवायिदालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र उत्तरान्तर 19600-30100 रुपये 6000 में रिक्त पद का सर्वनं ने जा छा उत्तराविन्द सिंह की लोकनियुक्ति/मृत्यु/व्यापात/एकत्र स्नानकोत्तर के उत्तराविन्द विज्ञा कार्य में उपलब्ध है।

2— उत्तराविन्द उत्तराविन्द उत्तराविन्द 1980 (यथा संशोधित) के प्रतिनियम के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पद संख्या— उम्मीद आयोग /सी-633/44/203/2017-18 दिनांक 14/06/2017 द्वारा यित्त अभ्यर्थी का चयन असन्न लकड़ा हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके नवायिदालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र के पद पर नियुक्त हो उत्तराविन्द उत्तराविन्द विज्ञा के आयोग (संशोधित) अधिनियम दर्ता 1980 की धारा 12-2 के अन्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अभियाचन हेतु प्राप्त पद के प्रति धारा 13(3) के प्राधिकारों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी का नम्बर प्राप्ति विज्ञा जाता है।

स्त्री हिमेशु मिश्र

राम-इस्माइलपुर, पोस्ट— गरखापुर,

सौराष्ट्र, इलाहाबाद।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आदेश की छायाप्रति समस्त संज्ञानों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3— अतः एतद्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्तराविन्द उत्तराविन्द विज्ञा के आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राधिकारों के अनुसार आप इस पत्र के पास हीमें की विधि अवधार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की विधि, जो भी पहले ही, से वित्तमालम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्त आदेश परिवर्तन द्वारा से नेतृत्व आदेश की एक प्रति इस कार्यालय की भी पुष्टावित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि यद्यपि यहां करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाए।

4— संबंधित अभ्यर्थी प्रबन्धक द्वारा निर्मात नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की विधि में उत्तराविन्द उत्तराविन्द विज्ञा के आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपलब्धित समयान्तरान्त निदेशक उत्तराविन्द उत्तराविन्द इलाहाबाद को अभियाचन संस्तुति करेगा।

5— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तरान्त यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धक द्वारा निर्मात नहीं किया जाता है तो प्रबन्धक को यिन पूर्व सूचना दिये उत्तराविन्द उत्तराविन्द विज्ञा के आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तराविन्द प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा— 57 के अन्तर्गत प्रबन्धक के विकल्प धारा— 58 की कार्यालयी हेतु लासन को संस्तुति वर दी जायेगी। परिणामतः लासन द्वारा प्रबन्धक अवक्रमित वर प्राधिकृत नियुक्ति कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तराविन्द महाविद्यालय प्रबन्धक का होगा।

6— यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपने उत्तराविन्द नियुक्ति अवधि में छहां नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशक की एक सालाह के अन्दर विजेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशक को अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में माँ नवायालय का कोई रवानन अंतरिम/अन्तिम वार्ताकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशक को अवश्य उत्तराविन्द आयोग की विधि प्रतिकूल कार्यालयी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तराविन्दी होगा।

- 7— संस्कृत अभ्यासी की आसन-व्यवस्था किसी भी धार्तेरी में बिना अपरिहार्य कारण के अपरिहार्य होगी।
- 8— प्रबन्धतत्र अथवा पिछले ३० एवं अनुसृतिया जाति/जनजाति के अभ्यासीकों की आसन-व्यवस्था कारण समय नियुक्ति पत्र में आसनादेश संख्या— २२/५/१९८२—०१-२ दिनांक २७ जुलाई १९८४ में ही गठी बिना व्यवस्था कर नियुक्ति आदेश द स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए—

“ वह नियुक्ति अनन्त्रित है तथा जाति/जनजाति प्रबन्ध-पत्र उचित नक्षत्रों से संबंधित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि आन्य पिछला वर्ग/अनुसृतिया जाति तथा अनुसृतिया जनजाति जैसा भी समाज ही के सम्बन्ध में दावा द्रृढ़ा है तो बिना विचारी कारण बताये तथा उन्होंने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए वार्ताएँ दण्ड राहित के प्राविधिकता के अन्वर्गत ऐसे कार्यालयीं जो की जा सकती है तो वार्ते में धूर्घटक के बिना सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। ”

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यालयीं भूमिकान्त करें।

संदेश—

मान्दाप

डॉ(आर०पी० सिंह)
शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं० : डिग्री अध्य०-१(आयोग) / १३९५-९९ / उसी तिथि को।

उक्त पत्र की प्रति निभावित की सुधनात्मा एवं आवश्यक कार्यालयीं हेतु प्रेषित—

- १— विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग—५, लखनऊ।
- २— प्राचार्य, कालिका धाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेकापुरी, वाराणसी(उ०प्र०)।
- ३— सर्वित अभ्यासी को इस सन्देश के साथ प्रेषित कि ये कृपया—
- (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
 - (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धालय से सम्पर्क कर शीघ्रतिशीघ्र अपने पद का कार्यभार सहण करे तथा कार्यभार सहण करने की सूचना निर्देशालय को भी दें।
 - (ग) प्रबन्धतत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने की उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार सहण नहीं कर दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यान् किसी नहाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुन विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति रद्द निरस्त हो जायेगी। जिसका सम्बूर्ध उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

४— होशीर उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

५— सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

Mantra
१४.८.१७
डॉ (प्रीति गौतम)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०प्र०),
कार्य शिक्षा निदेशक(उ०प्र०),
 उ०प्र०, इलाहाबाद।